भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1999

उत्तर देने की तारीख- 11.12.2025

अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति

† 1999. श्री के. राधाकृष्णन:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसपी के लिए एससीए) और वनबंधु कल्याण योजना जैसी प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित की गई, जारी की गई और उपयोग की गई निधि कितनी है,

(ग) क्या सरकार को अनुसूचित जनजातियों में कुपोषण, भू-स्वामित्व का हस्तांतरण और स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा तक अपर्याप्त पहुंच के लगातार होने वाले मामलों की जानकारी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को राज्य सरकारों की ओर से बार-बार अनुरोध करने के बाद भी इन मामलों के समाधान में विलंब के कारणों की जानकारी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का जनजातीय कल्याण के लिए समय पर हस्तक्षेप करने और लक्षित सहायता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क): नीति आयोग (डीएमईओ) ने पैकेज 9 के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान उनके प्रदर्शन का विश्लेषण करते हुए केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन किया है, जिसमें वनबंधु कल्याण योजना के तहत निम्नलिखित केंद्र प्रायोजित योजनाओं को शामिल किया गया हैः

1. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

2. अजजा के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

3. जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता

4. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास

5. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन)

6. प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना- पीएमएएजीवाई (पहले जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता - टीएसएस को एससीए के रूप में जाना जाता था) पीएमएएजीवाई को अब नवस्वरूपित किया गया है और इसे डीएजेजीयूए के तहत शामिल किया गया है

7. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासनिक लागत

मंत्रालय निम्नलिखित केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का मूल्यांकन भी कर रहा हैः

1. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)
2. अजजा छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति
3. अजजा छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति
4. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता
5. प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)
6. जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई)
7. निगरानी, मूल्यांकन, सर्वेक्षण और सामाजिक लेखा-परीक्षा (एमईएसएसए)
8. अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए) और वनबंधु कल्याण योजना जैसी प्रमुख योजनाओं के तहत आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का विवरण **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

(ग) से (ङ) : विभिन्न सर्वेक्षणों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों (अजजा) और सामान्य आबादी के बीच विकासात्मक अंतरों की पहचान की गई है। एनएफएचएस 5 (2019-21) के अनुसार शिशु मृत्यु दर सामान्य आबादी (35.2) की तुलना में अनुसूचित जनजातियों (41.6) में अधिक है। एनएफएचएस 5 (2019-21) के अनुसार सामान्य आबादी में क्रमशः 35.5%, 19.3% और 32.1% की तुलना में अजजा बच्चों में बौनापन, कमजोरी और वजन में कमी होने की व्यापकता 40.9%, 23.2% और 39.5% है। 2023-24 पी एल एफ एस वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों की कुल साक्षरता दर सामान्य आबादी में 80.9% की तुलना में 73.4%है।

सरकार देश में अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्यनीति के रूप में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) को लागू कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालयों/विभागों को अनुसूचित जनजातियों (अजजा) और गैर-अनूसूचित जनजाति वाली आबादी के बीच विकासात्मक अंतर को कम करने और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास हेतु हर वर्ष अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत आवंटित करने का अधिदेश दिया गया है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित की गई निधियों के साथ-साथ योजनाएं लिंक https://www.indiabudget.gov.in/budget 2024-25/doc/eb/stat10b. pdf में केंद्रीय बजट दस्तावेज के व्यय प्रोफाइल के विवरण 10ख में दी गई हैं।

राज्य सरकारों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी (2011 की जनगणना) के अनुपात में कुल योजना आवंटन के संबंध में टीएसपी निधियां निर्धारित करें। राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अपने स्वयं की निधियों से टीएसपी के लिए आवंटन और व्यय का विवरण https://statetsp.tribal.gov.in पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रहा है। इन योजनाओं का विवरण **अनुलग्नक II** में दिया गया है।

अनुलग्नक ।

"अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति" के संबंध में श्री के राधाकृष्णन द्वारा 11.12.2025 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 1999 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले तीन सालों में जनजातीय कार्य मंत्रालय की मुख्य योजनाओं का योजना-वार बजट खर्च और संशोधित आवंटन।

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2022-23	2023-24	2024-25
		व्यय	व्यय	आर.ई.
1	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)	1999.32	2447.06	4748.92
2	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत अनुदान	976.5	1172.1	1170.57
	पीएम वनबंधु कल्याण योजना			
3	अजजा के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	357.3	308.6	200
4	अजजा के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1965	2668.83	2462.68
5	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता	12.4	43.53	90
6	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	137.18	--	74.55
7	जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता - टीएसएस को एससीए/ प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)	1354.37	149.93	127.51
8	प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)	--	100	150
9	धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)	--	--	500
	राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम			
10	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	109.25	149.95	160
11	प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)	117.12	137.1	152.32
12	जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई)	15.01	32.04	32
13	अजजा छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	145	230	240
14	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना	4	7	6
15	प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)	--	9.97	10
कुल योग		**7192.45**	**7456.11**	**10124.55**

स्रोत: केंद्रीय बजट

अनुलग्नक II

"अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति" के संबंध में श्री के राधाकृष्णन द्वारा दिनांक 11.12.2025 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1999 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

देश में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरणः

(i) धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 5 वर्षों में 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए 63,843 गाँवों में अवसंरचना संबंधी अंतरों को दूर करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक बेहतर पहुँच और आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इस अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा: 56,333 करोड़ रूपये और राज्य हिस्सा: 22,823 करोड़ रूपये) रुपये है।

(ii) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन): सरकार ने 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) शुरू किया है, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगभग 24,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाले इस मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में समयबद्ध तरीके से पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच, सड़क और दूरसंचार सम्पर्क, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है।

(iii) प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम): जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) को क्रियान्वित कर रहा है, जिसे जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए दो मौजूदा योजनाओं अर्थात, "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" और "जनजातीय उत्पादों/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता" के विलय के माध्यम से डिजाइन किया गया है।

इस योजना में चयनित लघु वनोपज (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण और घोषणा करने की परिकल्पना की गई है। किसी विशेष लघु वनोपज (एमएफपी) वस्तु का प्रचलित बाजार मूल्य निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने की स्थिति में, पूर्व-निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और विपणन कार्य निर्दिष्ट राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। साथ ही, सतत (टिकाऊ) संग्रहण, मूल्य संवर्धन, अवसंरचना विकास, लघु वनोपज (एमएफपी) के ज्ञान आधार का विस्तार और बाजार आसूचना विकास जैसे अन्य मध्यम और दीर्घकालिक मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

मंत्रालय भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ (ट्राइफेड) के माध्यम से 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)' योजना को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य जनजातीय उद्यमिता के पहल को मजबूत करना और प्राकृतिक संशाधनों के इष्टतम उपयोग, कृषि/लघुवन उपज (एमएफपी)/गैर-कृषि उपज के अधिक कुशल, न्यायसंगत, स्व-प्रबंधन को बढ़ावा देकर आजिविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाना है। योजना के तहत, राज्य

सरकारों को वनधन विकास केन्द्रों (वीडीवीके) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो एमएफपी/गैर-एमएफपी की मूल्य संवर्धन गतिविधियों के केंद्र हैं।

(iv) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस): वर्ष 2018-19 में जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) शुरू किए गए थे। नई योजना के अंतर्गत, सरकार ने 440 ईएमआरएस, 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (2011 की जनगणना के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया है। शुरू में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत 288 ईएमआरएस स्कूलों को अनुदान के तहत वित्तपोषित किया गया था, जिन्हें नए मॉडल के अनुसार उन्नत किया जा रहा है। तदनुसार, मंत्रालय ने देश भर में लगभग 3.5 लाख अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभान्वित करने के लिए कुल 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।

(v) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान: संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत, अनुसूचित जनजाति आबादी वाले राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने और जनजातीय लोगों के कल्याण हेतु अनुदान जारी किए जाते हैं। यह एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम है और राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका, पेयजल, स्वच्छता आदि के क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे की गतिविधियों में अंतर को कम करने के लिए अनुसूचित जनजाति आबादी की महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं।

(vi) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता: अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत, मंत्रालय शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है, जिसमें आवासीय विद्यालय, गैर-आवासीय विद्यालय, छात्रावास, सचल औषधालय, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल, आजीविका आदि शामिल हैं।

(vii) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति: यह योजना कक्षा IX-X में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए लागू है। माता-पिता की आय सभी स्रोतों को मिलाकर 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिवा छात्रों को 225 रुपये प्रति माह और छात्रावास में रहने वालों को 525 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए दी जाती है। छात्रवृत्ति राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से वितरित की जाती है। पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों जहाँ यह अनुपात 90:10 है को छोड़कर, सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है। विधायिका रहित संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पैटर्न 100% केंद्रीय हिस्सा है।

(viii) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति: इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। माता-पिता की आय सभी स्रोतों को मिलाकर 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधित राज्य शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन की जाती है और अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर 230 रुपये से 1200 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। यह योजना

राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राजयक्षेत्र हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जहां यह 90:10 है को छोड़कर, सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है। बिना विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पद्धति (पैटर्न) 100% केंद्रीय हिस्सा है।

(ix) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियाँ: यह योजना चयनित छात्रों को विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रतिवर्ष कुल 20 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। इनमें से 17 छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए और 3 छात्रवृत्तियाँ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के छात्रों के लिए हैं। माता-पिता/परिवार की आय सभी स्रोतों को मिलाकर 6.00 लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(x) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चत्तर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति:

(क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति- (उच्च श्रेणी) योजना [स्नातक स्तर]: इस योजना का उद्देश्य मेधावी अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मंत्रालय द्वारा चिन्हित देश भर के 265 उत्कृष्ट संस्थानों, जैसे आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनआईआईटी आदि में से किसी में भी निर्धारित पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना है। सभी स्रोतों से पारिवारिक आय 6.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रवृत्ति राशि में शिक्षण शुल्क, रहने का खर्च और पुस्तकों व कंप्यूटर के लिए भत्ते शामिल हैं।

(ख) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति: भारत में एमफिल और पीएचडी की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रति वर्ष 750 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति यूजीसी के मानदंडों के अनुसार प्रदान की जाती है।

(xi) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता: मंत्रालय इस योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को जहां पहले से नए टीआरआई स्थापित नहीं हैं, वहां उनकी स्थापना करने के लिए और मौजूदा टीआरआई के कामकाज को सुदृढ करने हेतु अनुसंधान और दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, समृद्ध जनजातीय विरासत को बढ़ावा देने आदि के प्रति अपनी मुख्य जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करता है। जनजातीय कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण, कला और कलाकृतियों के रखरखाव और संरक्षण, जनजातीय संग्रहालय की स्थापना, जनजातियों के लिए राज्य के अन्य हिस्सों में आदान-प्रदान यात्राओं, जनजातीय त्योहारों के आयोजन आदि के माध्यम से देश भर में जनजातीय संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यकलापों के लिए टीआरआई को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शीर्ष समिति के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार टीआरआई को 100% सहायता अनुदान वित्तपोषित है।

*****